

32 (का०)

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में.

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 18/7/26

विषय : षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹3,00,00,00,000.00 (तीन सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

राज्य के सभी 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। विभागीय संकल्प सं० 1291 दिनांक 08.02.2024 द्वारा भवन निर्माण विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से 2165 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में सामान्य क्षेत्रों में निर्माण होने वाली 1083 पंचायत सरकार भवनों के लिए कुल $1083 \times ₹2,50,23,129.00 = ₹2710,00,48,707.00$ (दो हजार सात सौ दस करोड़ अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण होने वाली 1082 पंचायत सरकार भवनों के लिए कुल $1082 \times ₹3,05,00,000.00 = ₹3300,10,00,000.00.00$ (तीन हजार तीन सौ करोड़ दस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि का व्यय षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से किया जाना प्रावधानित है।

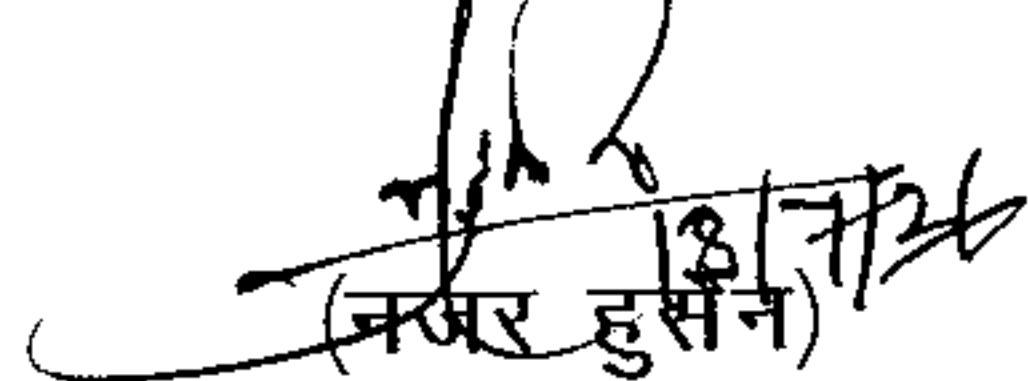
2. विभागीय संकल्प संख्या 1291 दिनांक 08.02.2024 की कंडिका 5 (ii) के आलोक में इन स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद की राशि चयनित विभाग/एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. उक्त वस्तुथिति के आलोक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि में से

कुल ₹3,00,00,00,000.00 (तीन सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

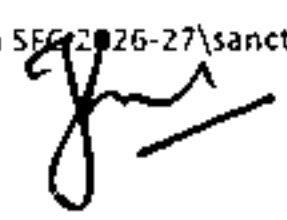
4. इस स्वीकृत राशि का निकासी भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-03 के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज-0008-पंचायत सरकार भवन (राज्य वित्त आयोग-पंचायती राज विभाग)" के "विषय शीर्ष 0008.31.05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण" से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 03-2515001010008 है।
5. इस स्वीकृत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आलोक में संबंधित कोषागार से किया जाएगा।
6. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। भवन निर्माण विभाग व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार ससमय पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेगें, ताकि इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना में समायोजित कराया जा सके।
7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. इस स्वीकृति प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024 के पृष्ठ 178/टि० पर दिनांक 15.07.2026 को प्राप्त है।
9. इस स्वीकृति प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या: 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024 के पृष्ठ संख्या 179/ टि० पर दिनांक 17.07.2026 को प्राप्त है।
10. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)

विशेष सचिव





ज्ञापांक: 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024/32(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 18/7/26
प्रतिलिपि : सचिव/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन
निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024/32(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 18/7/26
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला
परिषद्/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत
राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024/32(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 18/7/26
प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024/32(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 18/7/26
प्रतिलिपि : सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024/32(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 18/7/26
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी
प्रशाखा-05 एवं 06/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

